न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 56/2018

प्रार्थी–

हसन खां पुत्र अलफ खां जाति मुसलमान निवासी नेगरड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. इमाम पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी नेगरड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर
2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.07.1968 जिसके द्वारा मौजा नेगरड़ा के खसरा नम्बर 52 में अप्रार्थी सं. 1 को भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 24.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 10.07.1968 के दौरान कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम नेगरड़ा के खसरा नम्बर 52 में से रकबा 50–00 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 24.12.2018 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय से आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित मूल प्रार्थना–पत्र तलब कर अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. इमाम पुत्र ईस्माईल ने खसरा नम्बर 52 वर्तमान खसरा नम्बर 228/52 मौजा नेगरड़ा रकबा 50–00 बीघा का आवंटन कपट व मिथ्या प्रवंचना कर अपने पक्ष में करवाया हैं जबकि अप्रार्थी सं. 1 इमाम के पास मौजा नेगरड़ा में खसरा नम्बर 27, 28 व 61 में रकबा क्रमशः 04–02, 47–03, 29–16 बीघा भूमि पूर्व से ही खातेदारी में मौजूद थी। अप्रार्थी सं. 1 उपर्युक्त भूमि धारित करने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आता हैं तथा आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा भी अप्रार्थी के भूमिहीन होने संबंधी तथ्य की जांच नहीं की गई। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या प्रवंचना से प्रश्नगत आवंटन कराया गया हैं जो निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक 10.07.1968 को निरस्त करवाने हेतु करीबन 50 वर्षों के पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 1 सुन्नी मुसलमान होने से मुस्लिम विधि से शासित होता हैं तथा मुस्लिम विधि के अनुसार पुत्र या पुत्री को अपने पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा व बंटवाड़ा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति जैसी कोई धारणा की गई हैं और न ही पैतृक सम्पति में पुत्र को अपने पिता के जीवनकाल में नोशनल हिस्सा प्राप्त होता हैं। अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 10.07.1968 को जब ग्राम नेगरड़ा के खसरा नम्बर 52 में से रकबा 50–00 बीघा भूमि आवंटन किया गया था तब अलफ के नाम एक इंच खातेदारी भूमि नहीं थी तथा वह भूमिहीन होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त भूमि आवंटन हुई थी। अप्रार्थी सं. 1 को भूमि आवंटन हो जाने के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। अप्रार्थी ने आवंटन के समय किसी प्रकार की मिथ्या प्रवंचना नहीं की हैं तथा प्रार्थी भी अप्रार्थी सं. 1 के गांव का पड़ौसी हैं जिसे आलौच्य आवंटन की जानकारी होते हुए भी करीब 50 वर्षों बाद यह आवेदन पेश किया हैं जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हैं। प्रार्थी का यह आवेदन प्रस्तुत करने का उद्देश्य मात्र अप्रार्थी सं. 1 को हैरान, परेशान व खर्चे से बर्बाद करना हैं तथा प्रार्थी को अपनी व्यक्तिगत रंजिश से आवंटन को निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा यह आवेदन–पत्र में झूठे एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह आवेदन–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 10.07.1968 के दौरान कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम नेगरड़ा के खसरा नम्बर 52 (वर्तमान खसरा नम्बर 228/52) रकबा 50–00 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 24.10.2018 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी इमाम द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, क्योंकि उसके पैतृक हिस्से में मौजा नेगरड़ा में खसरा नम्बर 27, 28 व 61 में रकबा क्रमशः 04–02, 47–03 व 29–16 बीघा भूमि खातेदारी के अन्तर्गत हिस्से में आती थी। इस संबंध में आ[illegible] अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि हैं कि प्रथम [illegible]न होने से मुस्लिम विधि से शासित होता हैं तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में पुत्रों का नोशनल शेयर होने की कोई अवधारणा नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर

इसके अलावा प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र 50 वर्षों के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हैं। इस सबंध में इस न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2006–07(सप्ली.)आरआरटी 382 का अवलोकन जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राज0 की एकल पीठ द्वारा निर्धारित किया गया हैं कि ''प्रार्थी को विवादित आराजी आवंटित हुए 35 वर्ष हो चुके हैं और इतनी लम्बी अवधि के उपरांत प्रार्थी का विवादित आराजी का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं'' इसी निर्णय नजीर में यह भी निर्धारित किया गया हैं कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(9) 1997 में जोड़ी गई थी जिसे भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं किया जा सकता।'' इस प्रकार उक्त दृष्टांत के बल से प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र क्षीण नजर आता हैं। इसके अलावा अधीनस्थ तहसीलदार शिव से प्राप्त मूल आवंटन प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि जो भूमि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी होना प्रकट किया गया हैं वह अप्रार्थी के नाम न होकर उसके पिता के नाम दर्ज होना तथा अप्रार्थी सहित 9 भाई होना उल्लेख किया गया हैं, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता हैं कि उक्त भूमि से सम्बन्धित तथ्यों को छिपाकर मिथ्या प्रवंचना द्वारा आलौच्य भूमि आवंटन कराया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य आवंटन में किसी प्रकार की कपट प्रवंचना की गई हों, उसे भी प्रार्थी साबित करने में पूर्णतया विफल रहा हैं। इसके अलावा हमने न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2016–17(सप्ली.) पेज 304 एवं आरआरटी 2007(2) पेज 1430 का भी अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय नजीर के पद सं. 7 में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि–

''माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने [illegible] आईआर 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित [illegible] अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन [illegible] निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ है। यह मामला बहुत पुराना हैं और इतने पुराने मामले में 40 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाद खातेदारी काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।''

मननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का आलम्ब लेते हुए जो निर्धारित किया गया हैं वह हस्तगत प्रकरण में भी लागू होता हैं तथा प्रार्थी द्वारा आलौच्य आवंटन आदेश को करीब 50 वर्ष बाद चुनौती दी है जो अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद अब निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही हैं। इसके अलावा प्रार्थी इस आवंटन से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ है जिसे अब इतने लम्बे अंतराल के बाद जब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:04:12 IST
Reason: SelfAttested